कार्यालय जिला परिषद, खूँटी।

इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

कार्यालय जिला परिषद, खूँटी के आय स्त्रोत में वृद्वि के उद्वेश्य से जिला परिषद, खूँटी अन्तर्गत मुरहू प्रखण्ड में कॉमर्शियल प्लाजा (मार्केट कॉम्पलेक्स) का निर्माण कराया गया है। उक्त **नवनिर्मित मार्केट** कॉम्पलेक्स दुकान/रेस्टोरेन्ट/ऑफिस किराये पर देने हेतु दिनांक 25.02.2019 को 2:00 बजे अपराह्ण तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में इच्छुक फर्म/संस्थान/गैर सरकारी संस्था/स्वयं सहायता समूह/व्यक्ति से निम्नलिखित शर्तो पर मुहरबंद लिफाफे में दुकान संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करते हुए इच्छा का अभिव्यक्ति (E.O.I) आमंत्रित की जाती है।

प्राप्त (E.O.I) दिनांक 25.02.2019 को अपराह्ण 3:30 बजे गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी। (E.O.I) समर्पित करने वाले इच्छुक फर्म/संस्थान/गैर सरकारी संस्था/स्वयं सहायता समूह/व्यक्ति के प्रोपराइटर/अध्यक्ष/सचिव/प्राधिकृत बैठक में उपस्थित रह सकते है।

क्र०	नवनिर्मित मार्केट कॉम्पलेक्स का नाम	तल	दुकान/ रेस्टोरेन्ट / ऑफिस	विवरणी	दुकान/कायलिय संख्या	कुल संख्या	न्यूनतम दर प्रति वर्ग फीट/माह	आवेदन पत्र की राशि (वापस योग्य नही)	अग्रधन की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जिला परिषद, खूँटी अन्तर्गत मुरहू प्रखण्ड में कॉमर्शियल प्लाजा (मार्केट कॉम्पलेक्स)	भूतल	दुकान	283 वर्ग फीट का दुकान	1 एवं 6	2	15.00 रू० प्रतिवर्ग फीट	500.00 पाँच सौ रू० मात्र	1,00,000.00 एक लाख रू० मात्र
				194 वर्ग फीट का दुकान	2,3,4,5,7,8 एवं 9	7			
				208 वर्ग फीट का दुकान	10,11 एवं 12	3			
				115 वर्ग फीट का दुकान	13	1			
2	जिला परिषद, खूँटी अन्तर्गत मुरहू प्रखण्ड में कॉमर्शियल प्लाजा (मार्केट कॉम्पलेक्स)	भूतल	रेस्टोरेन्ट	रेस्टोरेन्ट, किचन एवं बरामदा सहित कुल – 881 फिट	14	1			
3	जिला परिषद, खूँटी अन्तर्गत मुरहू प्रखण्ड में कॉमर्शियल प्लाजा (मार्केट कॉम्पलेक्स)	प्रथम तल	कार्यालय	कार्यालय भवन, शौचालय एवं पेन्ट्री (संलग्न) के साथ – 1515 वर्ग फिट	1	1			
				कार्यालय भवन, शौचालय एवं पेन्ट्री (संलग्न) के साथ – 1515 वर्ग फिट	2	1			
				एक कार्यालय 813 वर्ग फीट (Common Toilet)	3	1			
				एक कार्यालय 684 वर्ग फीट (Common Toilet)	4	1			

नोट :– उपरोक्त निर्धारित मासिक किराये में विद्युत, पानी एवं अन्य टैक्स सम्मिलित नहीं है। विद्युत, पानी एवं अन्य टैक्स का भुगतान किरायेदार को स्वंय करना होगा।

निविदा की शर्ते कार्यालय अवधि में सूचना पट्ट एवं विभागीय वेबसाईट http://www.khunti.nic.in में अवलोकन किया जा सकता है।

ह०/- 15/2/19

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, खूँटी।

E:\Ravindra file\S@R File\Dak Bangla Expressiom of Interest\Murhu Com Plaza\Com Plaza.docx

कार्यालय जिला परिषद, खूँटी।

–: सूचना :–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद, खूँटी अन्तर्गत मुरहू प्रखण्ड में कॉमर्शियल प्लाजा (मार्केट कॉम्पलेक्स) स्थित दुकानों/कार्यालय/ रेस्टोरन्ट के आवंटन हेतु दिनांक 25.02.2019 तक आवेदन आमंत्रित की जाती है। आवेदन पत्र को एक मुहरबंद लिफाफे में दुकान संख्या अनिवार्य रूप से अंकित कर के जमा करें। दुकान, रेस्टोरन्ट एवं कार्यालय के संचालन एवं रख–रखाव हेतु इच्छुक फर्म/संस्थान/गैर सरकारी संस्था/स्वयं सहायता समूह/व्यक्ति के गठित अध्यक्ष/सचिव/प्राधिकृत व्यक्ति जिला परिषद, खूँटी कार्यालय में दिनांक 25.02.2019 को 2:00 बजे अपराह्ण तक अपना आवेदन निम्नलिखित शर्तों पर जमा कर सकते है।

1. दुकान, रेस्टोरन्ट एवं कार्यालय हेतु आवेदन प्राप्त करते समय 500.00/– (पाँच सौ) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। जो Non Refundable होगा। उक्त राशि उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के नाम से देय होगी।
2. एकरारनामा के पूर्व दुकान रेस्टोरन्ट एवं कार्यालय की अग्रधन की राशि उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, खूँटी के पदनाम से बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से देय होगी।
3. आवंटन हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्थान/स्वयं सहायता समूह खूँटी जिला के स्थायी निवासी को प्राथमिकता दिया जायेगा।
4. दुकान, रेस्टोरन्ट एवं कार्यालय के संचालन हेतु स्वयं व्यापार करना होगा एवं किसी भी परिस्थिति में दुकान, रेस्टोरन्ट एवं कार्यालय को किराये पर नही लगाएंगे। दुकान, रेस्टोरन्ट एवं कार्यालय को किसी अन्य व्यक्ति का अपने स्तर से किराया पर देने की स्थिति में कुल सरकारी राशि जप्त कर आवंटन रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
5. किराया की एकरारनामा अवधि एक वर्ष के लिए होगी।
6. आवेदक को किराया के अतिरिक्त होल्डिंग, विद्युतव्यय एवं अन्य प्रकार का कर स्वयं वहन करना होगा।
7. दुकान, रेस्टोरन्ट एवं कार्यालय का रख–रखाव, आंशिक मरम्मति एवं साफ–सफाई कार्य आवंटित धारी को स्वयं करवाना होगा।
8. किसी भी परिस्थिति में दुकान, रेस्टोरन्ट एवं कार्यालय के अन्दर विस्फोटक एवं खतरनाक तथा ज्वलनशील पदार्थ/निषिद्ध सामग्री नही रखी जायेगी और न ही इस के व्यवस्था की अनुमति होगी। दुकान, रेस्टोरन्ट एवं कार्यालय का प्रयोग गैर कानूनी काम में करने पर उस दुकान, रेस्टोरन्ट एवं कार्यालय का आवंटन रद्द करने एवं सरकारी राशि जप्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
9. आंतरिक साफ–सफाई जिसके अन्तर्गत कमरों, प्रसाधनगृहों, रसोईघर सहित पूरे दुकान, रेस्टोरन्ट एवं कार्यालय की साफ–सफाई आदि की जिम्मेदारी आवंटन प्राप्त कर्त्ता की होगी।
10. उपरोक्त कार्यों के निष्पादनार्थ करने वाले संचालन संस्था एवं प्रतिष्ठानों के द्वारा निम्न प्रकार जमा करेंगे।
11. निविदा दात्ता को उपरोक्त सेवाऐ अनिवार्यतः देनी होगी एवं जमा मासिक राशि Quote करनी होगी।
12. निविदा स्वीकृति के बाद दो दिनों के अंदर अग्रधन के रूप में 1,00,000.00/– (एक लाख) रूपये का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, खूँटी के पदनाम से जमा करना होगा। अनुबंध समाप्ति के पश्चात अगर इस का विस्तारीकरण न हो तो दो माह पूर्व की सूचना पर अग्रधन की राशि Refundable होगी।

ह०/–
उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, खूँटी।

E:\Ravindra file\S@R File\Dak Bangla Expressiom of Interest\Murhu Com Plaza\Niyam & Shart 2019.docx

फर्म संख्या :–....................../2018–19

जिला परिषद, खूँटी अन्तर्गत मुरहू प्रखण्ड में कॉमर्शियल प्लाजा (मार्केट कॉम्पलेक्स) स्थित दुकानों/कार्यालय एवं रेस्टोरेंट को किराये पर लेने हेतु आवेदन पत्र प्रारूप

पासपोर्ट साईज फोटो
हस्ताक्षर

1. आवेदक/संस्था का नाम :–..
2. पिता/पति का नाम :–..
3. जन्म तिथि :–..
4. वर्त्तमान पता :–..
5. स्थायी पता :–..
6. आवेदन की राशि :–..
7. बैंक ड्रॉफ्ट संख्या :–.. तिथि ....
8. बैंक का नाम एवं शाखा :–.. शाखा ....

संलग्न पहचान पत्र की विवरणी :–

I. ....
II. ....
III. ....
IV. ....
V. ....

आवेदक का हस्ताक्षर एवं तिथि

E:\Ravindra file\S@R File\Dak Bangla Expressiom of Interest\Murhu Com Plaza\Form Dam com plaza.docx